

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10

INDIA

TEN
RUPEES

Rs. 10

DICIAL

UTTAR PRADESH

रु०

10-09AD 350707

AFFIDAVIT

I Smt. Kusum Singh, W/o Shri Ranvijay Singh, age about 39 years do hereby solemnly affirm and declare as under.

1. I say that I am the Shri Ganesh Ji Gram Vikas Shikshan Sansthan Mathiya Ambedkar Nagar U.P. (Society) having its registered Office at Faizabad running and managing the S.B.S. College Mathiya Ambedkar Nagar U.P. I am competent and authorized to swear and submit this affidavit.
2. I say that the above School has up loaded the latest and correct information about College in the Online affiliated Schools Information System (OASIS) as on Dated 09-09-2019.
3. I say that the above School is displaying the latest and correct information as required under Bye-law 5.8 (iv) of the Affiliation Bye-laws of the Central Board of Secondary Education.
4. I say that the above School is collecting the fees from the Students and disbursing the expenses like salary etc. to its employees through the Electronic Clearing Service of Banks, as prescribed by the Circular dated 10th December, 2016 issued by the Board regarding Promotion of Cashless Transactions in the CBSE Affiliated Schools.

कुसुम सिंह
DEPONENT

Sworn And Verified Before

Deponent Has been Identified

By Smt. Kusum Singh

Notary Public, Ambedkar Nagar

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that statements made in paragraphs 1 to 4 of the above affidavit are all true and correct to my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from. verified at Jalalpur on this the 09-09-2019.

कुसुम सिंह
DEPONENT

प्रेषक,

पंजीकृत

संयुक्त शिक्षा निदेशक
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : सी०बी०एस०ई०अम्बे०(27) / — / 2016-17 दिनांक : 15-09-2016

विषय : एस०बी०एस० कालेज मठिया अम्बेडकरनगर उ०प्र० को सी०बी०एस०ई०
बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एस०बी०एस० कालेज मठिया अम्बेडकरनगर (उ०प्र०) को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05-09-2016 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भेद्यो बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कारन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।



- (ड.) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ता से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (घ.) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आसानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ङ.) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (च.) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अन्तर्गत दिये परिशिष्ट-3 के क्रम 5, 6 जो निम्नवत् हैं :-

शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा-12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा 11-12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा-6-10 तक पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा-1 से 5 तक शिक्षण के लिये हाईस्कूल, जे0टी0सी0, बी0टी0सी0, एच0टी0सी0 तथा इण्टर के साथ सी0टी0, जे0टी0सी0, बी0टी0सी0 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिये।

वेतन तथा सेवा शर्तें

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेगी जिसमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेज्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा, लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के आसानीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाते हैं किन्तु किसी

W

कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिये। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय, शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई तथ्य गोपन किया गया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूक या शिथिलता बरती जा रही है तो निर्वत अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त करने का अधिकार राजाज्ञा संख्या 1916/15-7-09-01 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति में सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

(उदयमान)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

संख्या : सी०बी०एस०ई०अम्बे०(27)/5389-87/2016-17 दिनांक उक्तवत्।

पंजीकृत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा०) शिविर कार्यालय 18-पार्क रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
- 3- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 4- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, एस०बी०एस० कालेज मठिया अम्बेडकरनगर उ०प्र०
- 8- गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

15-9-2016